राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 3(16)गृह–1/2017 भाग।। जयपुर, दिनांक 27/9/2021

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 3161
दिनांक 29/9/21

–:: आदेश ::–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 में चयन किये जाने की अनुशंषा के आधार पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 22.07.2021 के द्वारा नीचें वर्णित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नारकोटिक्स)के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	खण्ड
1.	एम–02	301086	रश्मि कुमारी	24.03.1987	GE, WE, NG, RG (Selected against GENM)	नारकोटिक्स

आयोग द्वारा प्रयोगशाला के नारकोटिक्स खण्ड में चयनित अभ्यर्थी श्रीमती रश्मि कुमारी की नियुक्ति विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.04.2021 से प्रलेख खण्ड के साथ ही आर्सन एवं एक्सप्लोजिव खण्ड में की गई। समसंख्यक आदेश दिनांक 22.07.2021 की अनुपालना में श्रीमती रश्मि कुमारी ने आर्सन एण्ड एक्सप्लोजिव खण्ड में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर दिनांक 16.04.2021 को कार्य ग्रहण कर लिया है।

इस विभाग के तदर्थ नियुक्ति आदेश दिनांक 22.07.2021 के बिन्दु संख्या 16 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की दिनांक से 15 दिवस तक भी कार्यग्रहण हेतु रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

श्रीमती रश्मि कुमारी द्वारा आर्सन एण्ड एक्सप्लोजिव खण्ड में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पर ज्वाईन करने के कारण उनके द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नारकोटिक्स) के पद पर ज्वाईनिंग करने से मना करते हुए दिनांक 19.08.2021 इस संबंध में निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अवगत कराया है।

अतः श्रीमती रश्मि कुमारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण इनको नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (नारकोटिक्स) के पद पर नियुक्ति हेतु जारी विभागीय आदेश दिनांक 22.07.2021 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वैब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज0 जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

27/9/2021
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस